न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—91 / 2021

वादीगण :—

1. गजरोदेवी पत्नी हंजाराम जाति गरूड़ा
2. गोपाराम पुत्र हंजाराम जाति गरूड़ा
3. भंवराराम पुत्र हंजाराम जाति गरूड़ा

निवासी कम्मों काबाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. बाबूराम पुत्र रूपाराम जाति गरूड़ा
2. मु.सुखी पत्नी रूपाराम जाति गरूड़ा
3. हीराराम पुत्र रूपाराम जाति गरूड़ा
4. वरदाराम पुत्र किशनाराम जाति गरूड़ा
5. हल्का पटवारी कोटडी
6. भू.अ.निरीक्षक भू.अभिलेख क्षेत्र मजल
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

1. **श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता वादीगण**
2. **प्रतिवादीगण एकपक्षीय**

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 15.04.25

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 596 / 13 रकबा 1.9425 हैक्टेयर की भूमि ग्राम कम्मो का बाडा तहसील समदडी में अवस्थित है। वादीगण के खातेदारी भूमि के सेडा—सेड प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खातेदार द्वारा वादीगण के खसरा संख्या 596 / 32 के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण करने एवं वादीगण के खेत के मध्य 100 सालो से पुरानी माठो व उस पर खड़े वृक्षो को काट कर खेत के माठ को खुर्द—बुर्द कर गलत तौर से सीमाज्ञान करवाने पर आमादा है। वादीगण द्वारा पूर्व में वादग्रस्त भूमि

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

का सीमाज्ञान करवाया गया था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 4 उक्त सीमाज्ञान को मनाने हेतु सहमत नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा भूमि की कीमतो में बढोत्तर होने के कारण वादग्रस्त खेत की माठ को तोडकर जबरन तारबन्दी कर रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का उक्त कृत्य अवैध व अनुचित होने के कारण उक्त वाद पेश किया गया है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री सुभाष कश्यप उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जवाब पेश करने के कई अवसर लिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण पेशी तारीख 08.01.2024 को प्रतिवादी का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बंद किया गया।

वादीगण की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में पी. डब्लयू 1 गोपाराम के बयान लेखबद्ध करवाया तथा वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 व खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 , प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की जमाबंदी प्रदर्श 4 से 5 प्रदर्शित करवाए।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादीगण वकील ने वादपत्र में अकित पदो को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 596 / 13 रकबा 1. 9425 हैक्टेयर की भूमि ग्राम कम्मो का बाडा तहसील समदडी में अवस्थित है। वादीगण के खातेदारी भूमि के सेडा–सेड प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के खातेदार द्वारा वादीगण के खसरा संख्या 596/13 के भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण करने एवं वादीगण के खेत के मध्य 100 सालो से पुरानी माठो व उस पर खडे वृक्षो को काट कर खेत के माठ को खुर्द–बुर्द कर गलत तौर से सीमाज्ञान करवाने पर आमादा ह यदि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता से अवलोकन एवं अध्ययन किया है।

यहां न्यायालय को यह तय करना था कि क्या वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है ?

वादीगण साक्ष्य पी.डब्लयू 1 गोपाराम सशपथ बयान में कथन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर अतिक्रमण हेतु वादीगण के सेडे पर स्थित पुरानी वृक्षो को काटकर माठ को खुर्द–बुर्द कर जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी भूमि है । प्रदर्श 2 व 5 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वादीगण के सेडा पडौसी खातेदार है। वादीगण द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है,उक्त अनुतोष प्रदान किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा, प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण की मौन स्वीकृत प्रतीत होती है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श जमाबंदी प्रदर्श 1, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 व खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 , प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की जमाबंदी प्रदर्श 4 से 5 व वादीगण साक्ष्य पी.डब्लयू 1 गोपाराम के बयान के आधार पर वादीगण ने यह सिद्व कर दिया है कि वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

लिहाजा वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कम्मो का बाडा तहसील समदडी के खसरा संख्या 596/13 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि पर इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप, बाधा, अवरोध दखदअंदाजी नहीं कर तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण स्वरूप अचिचार नहीं करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 91 / 2021

वादीगण :–

1. गजरोदेवी पत्नी हंजाराम जाति गरूड़ा
2. गोपाराम पुत्र हंजाराम जाति गरूड़ा
3. भंवराराम पुत्र हंजाराम जाति गरूड़ा

निवासी कम्मों काबाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. बाबूराम पुत्र रूपाराम जाति गरूड़ा
2. मु.सुखी पत्नी रूपाराम जाति गरूड़ा
3. हीराराम पुत्र रूपाराम जाति गरूड़ा
4. वरदाराम पुत्र किशनाराम जाति गरूड़ा
5. हल्का पटवारी कोटडी
6. भू.अ.निरीक्षक भू.अभिलेख क्षेत्र मजल
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –15.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई पेश होकर डिगरी दी जाती है कि पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कम्मो का बाडा तहसील समदडी के खसरा संख्या 596 / 13 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि पर इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादीगण के विरूद्ध जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार से हस्तक्षेप, बाधा, अवरोध दखदअंदाजी नहीं कर तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण स्वरूप अचिचार नहीं करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.04.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना